25.09.2023

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

<u>धन-वापसी (रिफंड) हेतु मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में</u>

1. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति (पीएसीएल के मामले से संबंधित) ["समिति"] ने उन पात्र निवेशकों से पीएसीएल के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंगाने का निर्णय लिया है जिनके दावे की रकम 17,001/- रुपये से 19,000/- रुपये तक की है और जिनके आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन हो चुका है। तदनुसार पात्र निवेशकों को संदेश (एसएमएस) के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी जिसमें उनसे पीएसीएल के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

2. पीएसीएल के जिन निवेशकों को समिति की ओर से ऐसा संदेश (एसएमएस) प्राप्त होता हो जिसमें उनसे पीएसीएल द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा जाए, वे निवेशक कृपया अपने मूल प्रमाणपत्र <u>रजिस्ट्री डाक / स्पीड पोस्ट</u> द्वारा इस पते पर भिजवा दें:

सेबी भवन,
प्लॉट सं. सी4-ए, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

3. निवेशक लिफाफे में <u>केवल पीएसीएल के मूल प्रमाणपत्र ही</u> भिजवाएँ और <u>लिफाफे पर प्रमाणपत्र संख्या अवश्य लिखी जाए</u>। एक लिफाफे में पीएसीएल का केवल 1 (एक) मूल प्रमाणपत्र ही भिजवाया जाए।

4. मूल प्रमाणपत्र केवल **<u>01.10.2023 से 31.10.2023</u>** तक ही प्राप्त किए जाएंगे।

5. निवेशक यह सुनिश्चित कर लें कि पीएसीएल के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पैरा 2 में दिए हुए पते पर **<u>31.10.2023 को शाम 05:00 बजे तक</u>** अवश्य पहुँच जाएँ।

6. इसके अलावा, निवेशकों को इस बात से आगाह किया जाता है कि वे पीएसीएल के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ किसी को भी न दें, जब तक कि इस संबंध में उन्हें समिति की ओर से ऐसा संदेश (एसएमएस) प्राप्त न हो जाए जिसमें उनसे प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने को कहा जाए।

नोडल अधिकारी-सह-सचिव
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति
(पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित)